

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0-6/एन0-08-273/2018-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-1286(6), दिनांक-23.11.2018 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, नरसिंहपुर, भाया-रमना मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रहलादपुर, भाया-सिलौट (नियर मुशहरी ब्लॉक), जिला-मुजफ्फरपुर-842002 को जी0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-163(6), दिनांक-31.01.2020 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 डी0के0 गुप्ता, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रहलादपुर, भाया-सिलौट (नियर मुशहरी ब्लॉक), जिला-मुजफ्फरपुर-842002 को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में एक सत्र के लिए जी0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु अगले आदेश तक निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अहंताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी। सत्र का निर्धारण बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा किया जायेगा तथा सत्र निर्धारण के उपरान्त ही संस्थान द्वारा छात्राओं का नामांकन लिया जायेगा।
- (च) राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के निमित्त विभागीय आदेश ज्ञापांक-944(6), दिनांक-26.07.2019, 631(6), दिनांक-17.05.2019 एवं पत्रांक-991(6), दिनांक-05.08.2019 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के लिए निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाएगा। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विभाग को समर्पित करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझेगें एवं भविष्य में निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन संस्थान अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- (छ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।



ह0/-
(डॉ0 कौशल कुमार)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6/एन0-08-273/2018-649(6)

पटना, दिनांक- 08/06/2021

- प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रहलादपुर, भाया-सिलौट (नियर मुशहरी ब्लॉक), जिला-मुजफ्फरपुर-842002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ला, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्प्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

